माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति के.सी. पुरी.

सेवा राम — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत पेट्रोलियम निगम लि. & और अन्य —

उत्तरदाता

C.W.P. No. 14143/2006

15 नवंबर, 2007

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद- 14 और 226 - याचिकाकर्ता को मेरिट पैनल पर क्रमांक 1 पर डीलर चयन बोर्ड द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन की सिफारिश की गई - जांच में निगम ने याचिकाकर्ता को 3 आपराधिक मामलों में शामिल पाया और एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 452/323 आईपीसी के तहत आरोप तय किया गया था। - पात्रता की शर्तें- उम्मीदवार को नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए- उम्मीदवार को आवेदन पत्र में उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है- याचिकाकर्ता किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है- कोई छिपाना नहीं भौतिक तथ्य - न तो आईपीसी की धारा 323 और न ही

आईपीसी की धारा 452 के तहत अपराध को नैतिक अधमता का अपराध कहा जा सकता है - निगम वर्ष 2000 में जारी दिशानिर्देशों/ नीति में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने में भी विफल रहा है - निगम स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है & डीलर चयन बोर्ड से ऐसा आदेश प्राप्त किए बिना सिफारिश रद्द करें - निगम ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया क्योंकि निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया सिफारिश रद्द करना - आवंटन को चुनौती देने में कोई देरी नहीं - दलील है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने एलपीजी वितरक स्थापित करने पर पर्याप्त राशि का निवेश किया स्वीकार नहीं किया जा सकता - ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करना निगम के अवैध, मनमाने और असंवैधानिक कृत्य को न्यायालय की मंजूरी के समान होगा - याचिका की अनुमति दी गई, प्रतिवादी नंबर 3 को एलपीजी वितरक का आवंटन रद्द कर दिया गया, जबकि निगम को डीलर चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आवंटन करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता को डीलर चयन बोर्ड द्वारा योग्यता पैनल पर क्रम संख्या 1 पर एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए सिफारिश की गई थी। उक्त अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप से वंचित कर दिया गया है कि उसके खिलाफ प्राप्त शिकायत पर प्रतिवादी निगम द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया गया था।

26 फरवरी 2001 को धारा 452/323 आईपीसी के तहत, जो प्रतिवादी निगम के अनुसार नैतिक अधमता का अपराध था, और याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। पात्रता की कोई शर्त नहीं थी कि आवेदन की तिथि पर यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से जुड़े किसी आपराधिक मामले में आरोप तय हो गया हो तो वह डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होगा। एकमात्र शर्त यह थी कि आवेदन और विचार की तिथि पर, उम्मीदवार को नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आवेदन पत्र में, याचिकाकर्ता को केवल यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या उसे नैतिक पतन और/या आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण का विवरण उपलब्ध करायें। चूंकि आवेदन की तिथि पर याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था और उसने इस आशय का शपथ पत्र दिया था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र भरते समय महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। 2000 के दिशानिर्देश/नीति के खंड 1.3.2 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने नैतिक अधमता से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए अपनी सजा के बारे में जानकारी छिपाई है, तो आवंटन/सिफारिश रद्द की जा सकती है। आवंटन/सिफारिश को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि एक लंबित आपराधिक मामले में, उम्मीदवार के खिलाफ नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए आरोप तय किया गया था, क्योंकि पात्रता मानदंड में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

(पैरा 21)

इसके अलावा, यह माना गया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर, प्रतिवादी निगम स्वयं निर्णय लेने और डीलर चयन बोर्ड से ऐसा आदेश प्राप्त किए बिना एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश को रद्द करने में सक्षम नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि प्रश्नगत डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश को रद्द करने का निर्णय लेने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल था, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त एसोसिएशन के पास पर्याप्त अवसर है। जांच के समापन के बाद, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, क्यों न उसकी सिफारिश रद्द कर दी जाए। इस प्रकार, प्रतिवादी निगम ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया है।

(पैरा26)

इसके अलावा, यह दलील दी गई कि अदालत को प्रतिवादी नंबर3 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने पर पर्याप्त राशि का निवेश किया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के तर्क को स्वीकार करना अदालत की मंजूरी के समान होगा। प्रतिवादी निगम के अवैध, मनमाने और असंवैधानिक कृत्य के लिए। याचिकाकर्ता को एलपीजी वितरण के आवंटन के लिए डीलर चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को रद्द करते हुए प्रतिवादी निगम ने गैरकानूनी और मनमाने ढंग से काम किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद14 का उल्लंघन किया है और उक्त वितरक को प्रतिवादी नंबर3 को आवंटित किया है जो दूसरे पैनल में शामिल उम्मीदवार था।.

(पैरा29 एवं30)

वी.के. याचिकाकर्ता के लिए जैन, वरिष्ठ वकील, सुशील जैन, वकील के साथ।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए वकील हरिपाल वर्मा।

रमन शर्मा, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

इस रिट याचिका में सवाल यह है कि क्या बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन प्रतिवादी नंबर 3 को किया गया, जो डीलर चयन बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मेरिट पैनल में नंबर 2 पर था, याचिकाकर्ता को नजरअंदाज करके, जो नंबर पर था। मेरिट पैनल में 1, इस आधार पर कि वह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए योग्य और योग्य नहीं था, क्योंकि आवेदन की तिथि पर, उसके खिलाफ नैतिक अधमता से जुड़ा एक आपराधिक मामला लंबित था, जिसमें आरोप तय किया गया था, यह अवैध है, मनमाना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और एलपीजी वितरकों के चयन के लिए भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बनाए गए विज्ञापन और नीतिगत निर्णय/दिशानिर्देश के विपरीत?

(2) उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना होगा:-

(3) वर्ष 2002 में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड - प्रतिवादी नंबर 1 (बाद में 'प्रतिवादी निगम' के रूप में संदर्भित) ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 'खुली श्रेणी' के तहत एलपीजी वितरक की नियुक्ति के लिए आम जनता से आवेदन आमंत्रित किए। बल्लभगढ़ का क्षेत्र. इस संबंध में 23 मार्च, 2002 को दैनिक 'द ट्रिब्यून' में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसकी प्रति संलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न है। इस विज्ञापन में उन उम्मीदवारों के लिए विभिन्न पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया था, जो उपरोक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करना चाहते थे। विभिन्न शर्तों के बीच, नंबर 6 पर एक शर्त थी, जो यह प्रावधान करती है कि नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उपरोक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाना था, जो प्रतिवादी निगम के कार्यालय में भुगतान पर उपलब्ध था। याचिकाकर्ता, जो बल्लभगढ़ का स्थायी निवासी है, ने प्रतिवादी निगम के कार्यालय से क्रमांक 1931 वाला एक आवेदन पत्र प्राप्त किया। उक्त फॉर्म के साथ, एक ब्रोशर भी प्रदान किया गया था, जिसमें

'ओपन श्रेणी' के डीलरों/वितरकों के चयन के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित थे। ब्रोशर के खंड 10 में प्रावधान है कि नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवार डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे और यदि ऐसे व्यक्ति को दमन करके डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की जाती है। जानकारी, इसे रद्द कर दिया जाएगा. निर्धारित आवेदन पत्र में एक कॉलम नंबर 20 था, जो इस जानकारी से संबंधित था कि क्या आवेदक को नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण का विवरण उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो परिशिष्ट 'ए' के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें।

(4) 2 मई, 2002 को, 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित विज्ञापन की पूरी सामग्री और उपरोक्त ब्रोशर में निर्धारित दिशानिर्देशों को पढ़ने के बाद, याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आवेदन की तिथि पर, याचिकाकर्ता को नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया

था। इसलिए, आवेदन पत्र के साथ, याचिकाकर्ता ने अपेक्षित हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि उसे नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के लिए आवेदक को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का विवरण देने की आवश्यकता नहीं थी।

(5) प्रतिवादी निगम ने कई उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद 60 से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। याचिकाकर्ता को भी पूरी तरह से योग्य पाया गया और 1 नवंबर, 2003 को एक पत्र के माध्यम से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार 25 नवंबर, 2003 को सम्मेलन कक्ष, होटल श्यामा इंटरनेशनल, दिल्ली में आयोजित किया जाना था। साक्षात्कार 25 नवंबर, 2003 और 26 नवंबर, 2003 को डीलर चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए थे, जिसमें अध्यक्ष और दो सदस्यों के रूप में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश शामिल थे। अंततः, डीलर चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कार का परिणाम 26 नवंबर, 2003 को घोषित किया गया। बोर्ड ने याचिकाकर्ता को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार पाया और बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए तीन नामों के एक पैनल की

सिफारिश की, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 को क्रम संख्या 2 पर दिखाया गया।

(6) योग्यता पैनल की प्राप्ति के बाद, प्रतिवादी निगम ने याचिकाकर्ता की फील्ड जांच रिपोर्ट पूरी की। याचिकाकर्ता से कुछ दस्तावेजों की मांग की गई थी, जो उन्होंने उपलब्ध करा दिए। जब संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी, तो प्रतिवादी निगम को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक शिकायत मिली, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके चयन की तारीख पर, याचिकाकर्ता तीन आपराधिक मामलों यानी एफआईआर नंबर 565 में शामिल था। दिनांक 14 दिसंबर, 1999 को पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 फ़रीदाबाद में धारा 452, 323, 506 और 34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया; सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के लिए धारा 147,148,353,186,341 और 506 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में एफआईआर संख्या 436, दिनांक 9 जुलाई, 2001 दर्ज की गई और एफआईआर नं. 244 दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 को पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत ऋण वापस न करने के लिए दर्ज किया गया, जिसमें से एक मामले में यानी एफआईआर नंबर। 565 दिनांक 14 दिसंबर 1999, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा

452/323 के तहत भी आरोप तय किया गया था, इसलिए, वह प्रश्न में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए पात्र/योग्य नहीं था।

(7) उपरोक्त शिकायत पर, प्रतिवादी निगम के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा एक जांच की गई, जिसमें पाया गया कि 26 फरवरी, 2001 को एफआईआर संख्या 565, दिनांक 14 दिसंबर, 1999 में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया गया था। धारा 452/323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फ़रीदाबाद की अदालत। उक्त अपराध को नैतिक अधमता का अपराध मानते हुए, प्रतिवादी निगम ने याचिकाकर्ता को एलपीजी वितरक आवंटित नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वह इसके लिए पात्र नहीं था और वह एलपीजी वितरक के रूप में चयनित और नियुक्त होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। नतीजतन, प्रतिवादी निगम ने प्रतिवादी नंबर 3 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने का फैसला किया, जो योग्यता पैनल में क्रमांक 2 पर था। उक्त निर्णय के मद्देनजर, 15 मई, 2004 को प्रतिवादी संख्या 3 को आशय पत्र जारी किया गया और अंततः, 30 सितंबर, 2004 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए एक समझौता निष्पादित किया गया।

(8) उपरोक्त समझौते के निष्पादन से पहले, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी निगम को याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को वितरक आवंटित करने

से रोकने के लिए 2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9454 दायर किया, जिसे डीलर चयन बोर्ड द्वारा अधिक उपयुक्त पाया गया था और रखा गया था। मेरिट पैनल में क्रमांक 1. उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, जब प्रतिवादी निगम ने प्रतिवादी नंबर 3 को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की, तो याचिकाकर्ता ने उक्त रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन को चुनौती दी गई। आवेदन सुनवाई के लिए आया, 16 मार्च, 2006 को, याचिका में संशोधन की अनुमति देने के बजाय, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कार्रवाई के उसी कारण पर नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 4 सितंबर, 2006 को वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी।

(9) याचिका में, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रतिवादी निगम ने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से इनकार कर दिया है और इसे प्रतिवादी नंबर 3 को आवंटित कर दिया है, जो योग्यता पैनल में क्रमांक 2 पर था, इस आधार पर कि पूछताछ के दौरान पता चला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 452, 323, 506 और 34 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 फरीदाबाद में दर्ज एक आपराधिक मामला यानी एफआईआर नंबर 565 दिनांक 14 दिसंबर, 1999 लंबित था, जिसमें उसके खिलाफ आरोप तय किया

गया था। 26 फरवरी, 2001 को धारा 452/323 आईपीसी के तहत, जो प्रतिवादी निगम के अनुसार नैतिक अधमता का अपराध था, और याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी कि उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी निगम द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि एक आवेदक, जिस पर नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया हो, हालांकि प्रासंगिक समय पर दोषी नहीं ठहराया गया हो। , प्रश्नगत डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए भी अयोग्य होगा। यहां तक कि आवेदन पत्र के साथ प्रतिवादी निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में भी खंड संख्या 10 था, जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए आरोप तय करने की उक्त शर्त को निर्धारित नहीं करता है। यह आगे कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा एलपीजी वितरकों के चयन के लिए 9 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं थी और एकमात्र शर्त यह थी कि एक उम्मीदवार, जो नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होगा। उक्त दिशा-निर्देशों, विज्ञापन, आवेदन पत्र के साथ संलग्न ब्रोशर या स्वयं आवेदन पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि जिस अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में आरोप तय किया गया है।नैतिक अधमता भी आवेदन के लिए अयोग्य होगी। याचिका

में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए प्रतिवादी निगम द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि इसे प्रतिवादी नंबर 3 को आवंटित किया गया है, जो मेरिट पैनल में सीरियल नंबर 2 पर था। डीलर चयन बोर्ड द्वारा बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तैयार किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उसे सफल घोषित किया गया था और उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए योग्यता पैनल में क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। यह भी कहा गया है कि डीलर चयन बोर्ड को मामले को संदर्भित किए बिना, आपराधिक मामलों की लंबितता के आधार पर प्रतिवादी निगम द्वारा मनमाने तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है। यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से इनकार करते समय, प्रतिवादी निगम ने 9 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना के तहत भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

(10) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं। उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से दायर लिखित बयान में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्यों को छुपाया है। विज्ञापन के संबंध में. इसमें कहा गया है कि जिस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात हो रही है उसका विज्ञापन दो अखबारों में प्रकाशित

हुआ था. याचिकाकर्ता ने 23 मार्च, 2002 को "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न नहीं की है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया था कि उम्मीदवार को नैतिक अधमता/आर्थिक अपराधों से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया/मुकदमा चलाया जा रहा है और जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। न्यायालय द्वारा निर्धारित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे कहा गया है कि 18 जुलाई 1998 को बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए अंग्रेजी में "द ट्रिब्यून" और हिंदी में "दैनिक ट्रिब्यून" में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उस विज्ञापन में भी, यह विशेष रूप से कहा गया था कि आवेदक को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए या नैतिक अधमता/आर्थिक अपराधों से जुड़े अपराध के लिए कोई आरोप पत्र लंबित नहीं होना चाहिए और जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, वे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं हैं। आगे कहा गया है कि वर्ष 1998 में जारी विज्ञापन के आलोक में कोई चयन नहीं किया गया और वर्ष 2002 में उसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए। वर्ष 2002 में जारी ताजा विज्ञापन में क्रमांक 13 पर यह शर्त थी कि जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें पहले के आवेदनों को संदर्भित करते हुए दोबारा आवेदन जमा करना होगा। पहले वाले आवेदकों को नये आवेदन के साथ नया आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों की पात्रता की तारीख वही तारीख रहेगी जब पहले आवेदन मांगे गए थे। ताजा विज्ञापन के

मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने कई अन्य व्यक्तियों के साथ एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए आवेदन किया और अंततः तीन उम्मीदवारों को डीलर चयन बोर्ड द्वारा शॉर्टलिस्ट / पैनल में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 1 पर रखा गया था और प्रतिवादी संख्या 3 को क्रम संख्या 2 पर रखा गया था। बताया गया है कि जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि उसके खिलाफ तीन आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें से एक मामले यानी एफआईआर नंबर 565 दिनांक 14 दिसंबर 1999 को पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 फरीदाबाद में दर्ज किया गया था, यहां तक कि धारा 452/323 आईपीसी के तहत आरोप भी तय किया गया था। यह कहा गया है कि इस तथ्य के मद्देनजर कि उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप तय किया गया था, वह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए पात्र नहीं पाया गया था, इसलिए, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन दूसरे को कर दिया गया था। पैनल में शामिल उम्मीदवार यानी प्रतिवादी नंबर 3. यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका देर से दायर की है। प्रतिवादी संख्या 3 को आशय पत्र 15 मई 2004 को जारी किया गया था, जबकि वर्तमान याचिका 28 अगस्त 2006 को दायर की गई थी, इसलिए, यह उस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आपराधिक मामलों की लम्बितता के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर, मामले की

जांच के लिए प्रतिवादी निगम के वरिष्ठ महाप्रबंधक को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने याचिकाकर्ता को सुनने के बाद जांच की। यह कहा गया है कि पूछताछ के दौरान, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि 26 फरवरी, 2001 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद की अदालत द्वारा उसके खिलाफ धारा 452/323 आईपीसी के तहत आरोप तय किया गया था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उक्त अपराध नैतिक अधमता का अपराध नहीं था। यह भी कहा गया है कि मात्र चयन से याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं मिल जाता है और जब विज्ञापन की तिथि पर याचिकाकर्ता आपराधिक मामला लंबित होने के कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए पात्र नहीं था, जिसमें आरोप भी था। नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और प्रतिवादी निगम ने प्रतिवादी नंबर 3 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की है, जो योग्यता पैनल में सीरियल नंबर 2 पर था।

(11) प्रतिवादी नंबर 3 ने आगे दलील दी कि उसने पहले ही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कमीशन के लिए एक बड़ी राशि का निवेश किया है और पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से, वह प्रश्न में डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रहा है, इसलिए, इस स्तर पर, यह होगा याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करना और

याचिकाकर्ता द्वारा लंबी देरी के बाद दायर याचिका पर प्रतिवादी नंबर 3 को संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के आदेश को रद्द करना असमान है।

(12) याचिकाकर्ता के साथ-साथ उत्तरदाताओं के वकीलों ने उन बिंदुओं पर मामले पर बहस की, जिन्हें उन्होंने अपनी दलीलों में लिया है और समय-समय पर एलपीजी वितरक के चयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लेख किया है। संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किया गया जिसमें उनके संबंधित मामले के समर्थन में कुछ निर्णय भी शामिल हैं।

(13) दलीलों को सुनने और विभिन्न विज्ञापनों, संदर्भित दस्तावेजों और दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों को देखने के बाद और इसके बाद दिए गए कारणों से, हमारी राय है कि यह याचिका अनुमति देने और आवंटन के योग्य है। प्रतिवादी नंबर यू 3 को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द करने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से और मनमाने ढंग से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप से वंचित कर दिया गया है, जो मेरिट पैनल में सीरियल नंबर 1 पर डीलर चयन बोर्ड द्वारा चुने जाने का हकदार है। .

(14) भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, समय-समय पर खुदरा आउटलेट डीलरों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/एसकेओ-एलडीओ डीलरों के चयन के लिए नीतिगत निर्णय लेता रहा है और दिशानिर्देश जारी करता रहा

है। 9 अक्टूबर, 2000 को, भारत सरकार ने पहले के संचार के अधिक्रमण में परिपत्र संख्या पी-39012/1/1999-आईओसी जारी किया, जिसमें परिपत्र संख्या पी- सहित तेल विपणन कंपनियों के डीलरों/वितरकों के चयन के लिए दिशानिर्देश शामिल थे। 19011/56/95-आईओसी दिनांक 1 अप्रैल 1997। ये दिशानिर्देश डीलर/वितरक के रूप में उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए पारदर्शी, एक समान, निष्पक्ष और तेज प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जारी किए गए थे। इस परिपत्र/दिशानिर्देशों की धारा 1 डीलरों/वितरकों के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करती है। इन दिशानिर्देशों का खंड 1.1 दिशानिर्देशों में निहित विभिन्न शर्तों को परिभाषित करता है। उप खंड (ii) 'कनविक्शन' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है 'नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना। ' खंड 1.2 डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता से संबंधित है। खण्ड 1.3 में प्रावधान है

अयोग्यता. उप खंड (vi) के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। खंड 1.3.2 दोषसिद्धि को परिभाषित करता है। यह निम्नानुसार प्रदान करता है:-

"नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवार डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप

के लिए पात्र नहीं होंगे और यदि ऐसे व्यक्ति को जानकारी छिपाकर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की जाती है, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।"

इस नीति/दिशानिर्देशों की धारा 2 आरक्षण से संबंधित है। हमें उससे कोई सरोकार नहीं है. धारा 3 डीलर चयन बोर्डों के गठन, विज्ञापनों, आवेदनों की जांच, साक्षात्कार की समय-सारणी आदि से संबंधित है। खंड 3.1 डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए विज्ञापन प्रदान करता है। खंड 3.1.1 में प्रावधान है कि विज्ञापन दो समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी दैनिक और एक क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक में दिया जाएगा, जिसका वितरण उस जिले में अधिकतम होगा जहां डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थित है। खंड 3.2 आवेदन शुल्क का प्रावधान करता है। खंड 3.2.1 में प्रावधान है कि आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से रुपये भेजकर लिखित अनुरोध करके प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के लिए संबंधित तेल कंपनी के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक या पोस्टल ऑर्डर पर आहरित क्रॉस अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 500 रुपये (गैर-वापसी योग्य)। खंड 3.2.2 (जो उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं में से एक के निर्णय के लिए प्रासंगिक होगा) आवेदन शुल्क के लिए अपवाद प्रदान करता है और यह खंड निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

"उन मामलों में जहां आवेदन पहले आमंत्रित किए गए थे लेकिन साक्षात्कार आयोजित नहीं किए जा सके या जहां साक्षात्कार आयोजित किए गए थे लेकिन योग्यता पैनल प्रदर्शित नहीं किए गए थे, ऐसे मामलों में संबंधित तेल विपणन

कंपनियों द्वारा नए आवेदन मांगे जा सकते हैं। जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें नए फॉर्म पर आवेदन जमा करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें पहले भुगतान की गई धनराशि की रसीद की ज़ेरॉक्स प्रतियां होनी चाहिए। पहले वाले आवेदकों को नया आवेदन शुल्क जमा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया था, उनके लिए पात्रता की तारीख वही तारीख रहेगी जब पहले आवेदन मांगे गए थे, जबकि नए आवेदकों के लिए पात्रता की तारीख वही होगी जो आवेदन के लिए बुलाए गए नए विज्ञापन में बताई गई है। नए आवेदनों की मांग करने वाले प्रत्येक विज्ञापन में इसे स्पष्ट किया जा सकता है। इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए आपके संगठन में सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।

> खंड 3.4 अनुप्रयोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। खंड 3.5 डीलर चयन बोर्डों के गठन का प्रावधान करता है। खंड 3.9 साक्षात्कार का प्रावधान करता है। खंड 3.10 उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए मानदंड प्रदान करता है। खंड 3.11.3 में प्रावधान है कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद डीलर चयन बोर्ड तेल कंपनियों को किसी विशेष डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अधिकतम तीन नामों के दंड की सिफारिश करेगा। खंड 3.12.1 में प्रावधान है कि योग्यता पैनल प्राप्त होने के बाद, तेल कंपनी के क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक 10 दिनों के भीतर फील्ड निरीक्षण

रिपोर्ट पूरी करवाएंगे और योग्यता प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आशय पत्र जारी करेंगे। डीलर चयन बोर्ड से पैनल। खंड 3.12.2 (जो विवाद के निर्णय के लिए भी प्रासंगिक है) में प्रावधान है कि यदि फील्ड जांच रिपोर्ट के बाद पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार किसी विशेष कारण से उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित तेल कंपनी इस मामले को अध्यक्ष को संदर्भित करेगी जो पैनल में शामिल अगले उम्मीदवार को आशय पत्र जारी करने का निर्णय लें। यदि फील्ड जांच रिपोर्ट के परिणामस्वरूप सूचीबद्ध उम्मीदवारों में से कोई भी फिट नहीं पाया जाता है या किसी कारण से अनिच्छुक पाया जाता है, तो स्थान को नए चयन के लिए फिर से विज्ञापित किया जा सकता है। खंड 3.15.1 में प्रावधान है कि तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतें डीलर चयन बोर्ड के संबंधित अध्यक्ष को भेजी जाएंगी। खंड 3.15.2 में प्रावधान है कि समन्वयक ऐसी सभी शिकायतों/शिकायतों को बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष उनके निर्देश/निर्णय के लिए रखेगा। अध्यक्ष के निर्णय को समन्वयक द्वारा आगे की पूछताछ/अनुपालन के लिए संबंधित तेल कंपनी को सूचित किया जाएगा। खंड 3.15.3 में आगे प्रावधान है कि पैनल में शामिल उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के खिलाफ जांच की जाने की स्थिति में, संबंधित तेल कंपनी के महाप्रबंधक के पद से नीचे का एक अधिकारी दो अधिकारियों को नामित करेगा जो मुख्य प्रबंधक के पद से

नीचे का न हो। जांचकर्ता ऐसी जांच के गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद तेल कंपनी जांच रिपोर्ट डीलर को भेज देगी चयन बोर्ड. अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई परामर्श नहीं करेगा, शिकायत के संदर्भ में रिपोर्ट की जांच करेगा और तेल कंपनी को अनुपालन के लिए अपने निर्देश/आदेश देगा।

(15) उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, 23 मार्च, 2002 को, प्रतिवादी निगम ने दो समाचार पत्रों यानी 'द ट्रिब्यून' (अंग्रेजी) और 'नव भारत' में बल्लभगढ़ सहित विभिन्न स्थानों के लिए एलपीजी वितरक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। टाइम्स' (हिन्दी)। निर्विवाद रूप से, 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित विज्ञापन में पात्रता शर्तों में यह उल्लेख किया गया था कि नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उक्त विज्ञापन में यह बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक अपराध के लिए अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है, वे भी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यह भी स्वीकार किया गया है कि हिंदी अखबार यानी 'नव भारत टाइम्स' में जारी विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि जिन उम्मीदवारों को आपराधिक अधमता/आर्थिक अपराधों से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए

दोषी ठहराया गया है और जिनके खिलाफ अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा अन्य) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(16) यह प्रतिवादी निगम का मामला है कि 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित विज्ञापन में अनजाने में गलती हो गई थी और नैतिक अधमता के आपराधिक अपराध के लिए आरोप तय करने के संबंध में शब्दों को उक्त विज्ञापन में शामिल नहीं किया जा सका। गलती। हालाँकि, बहस के दौरान, इस बात पर कोई विवाद नहीं हुआ कि उपरोक्त विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ दिए गए ब्रोशर में पात्रता मानदंड दिए गए थे। ब्रोशर के खंड 10 में प्रावधान है कि नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवार डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे और यदि ऐसे व्यक्ति को दमन करके डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की जाती है। जानकारी, इसे रद्द कर दिया जाएगा. इस दस्तावेज़ में यह भी प्रावधान नहीं किया गया था कि जिस उम्मीदवार के खिलाफ नैतिक अधमता

से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है, वह भी आवेदन करने के लिए अयोग्य होगा।

(17) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील यह नहीं बता सके कि नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए किसी दोषी के खिलाफ आरोप तय करने के इस खंड का उल्लेख ब्रोशर में अयोग्यता के रूप में नहीं किया गया है। हमने उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का भी अवलोकन किया है। ये फॉर्म प्रतिवादी निगम द्वारा उम्मीदवारों को प्रदान किए गए थे। आवेदन पत्र में, कई कॉलमों में से, क्रम संख्या 20 पर एक कॉलम है, जिसमें आवेदक से यह जानकारी मांगी गई है कि क्या आवेदक को नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराधों (इसके अलावा) से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। स्वतंत्रता संग्राम). यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण का विवरण उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो परिशिष्ट 'ए' के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें। इस कॉलम में किसी अभ्यर्थी से यह जानकारी नहीं मांगी गई कि उसके विरुद्ध नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से जुड़े किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है या नहीं। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील यह भी नहीं बता सके कि यदि किसी उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए यह अनिवार्य शर्त थी, तो आवेदन पत्र में वह जानकारी क्यों नहीं मांगी गई थी, जिसे प्रतिवादी निगम

द्वारा विभिन्न उम्मीदवारों को प्रकाशित और आपूर्ति की गई थी। यहां उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्र में, आवेदकों से उनके खिलाफ लंबित किसी आपराधिक मामले की लंबित जानकारी देने के लिए कोई खंड नहीं था, जिसमें न तो कोई आरोप तय किया गया था और न ही उन्हें दोषी ठहराया गया था।

(18) हालाँकि, बहस के दौरान, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया कि प्रारंभ में, एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए विज्ञापन 18 जुलाई, 1998 को 'द ट्रिब्यून' और 'दैनिक ट्रिब्यून' में जारी किया गया था। . उन विज्ञापनों में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि आपराधिक अधमता/आर्थिक अपराधों से जुड़े किसी भी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया उम्मीदवार और जिनके खिलाफ अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 1998 में, 1997 के दिशानिर्देश/नीति लागू थे और उन दिशानिर्देशों के खंड 2.9.9 में प्रावधान था कि नैतिक अधमता/आर्थिक अपराधों से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए उम्मीदवार और जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है। ऐसी आपराधिक कार्यवाही में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होगा और यदि ऐसे व्यक्ति

को जानकारी छिपाकर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की जाती है, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। ' आगे तर्क दिया गया कि वर्ष 2002 में जारी विज्ञापन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जिन लोगों ने वर्ष 1998 में विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था, वे भी पात्र हैं और दोबारा भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पात्रता होगी पूर्व आवेदन की तिथि पर लागू। उक्त खंड के मद्देनजर, यह तर्क दिया गया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड वही लेना होगा, जैसा कि वर्ष 1998 में प्रचलित था और उन विज्ञापनों में उल्लिखित था।

(19) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माना जाता है कि, पहले के दिशानिर्देशों/नीति के अधिक्रमण में, भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नए दिशानिर्देश/नीति जारी की है। उन दिशानिर्देशों में, यह विशेष रूप से देखा गया है कि "पहले के संचार के अधिक्रमण में, डीलरों के चयन के लिए दिशानिर्देश/ इस ओएम के जारी होने की तारीख से तेल विपणन कंपनियों के वितरक निम्नानुसार होंगे। नए दिशानिर्देशों/नीति के तहत, पात्रता मानदंड को संशोधित किया गया है और 'दोषी' की परिभाषा को बदल दिया गया है। दोषसिद्धि को उप खंड 1.1 (ii) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, कि

दोषसिद्धि का अर्थ नैतिक अधमता/आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि है। 'अयोग्यता' खंड के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध (स्वतंत्रता संग्राम के अलावा) से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और यदि ऐसे व्यक्ति को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सूचना छुपाने पर उसे निरस्त कर दिया जायेगा। नए दिशानिर्देशों/नीति के तहत, एक उम्मीदवार जिसके खिलाफ नैतिक अधमता से जुड़ा एक आपराधिक मामला लंबित था, जिसमें आरोप तय किया गया था, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए पात्र था। इसी प्रकार, प्रतिवादी निगम द्वारा जारी विज्ञापनों, आवेदन पत्र और ब्रोशर में भी इस आशय का कोई खंड नहीं था। इन तथ्यों को देखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित विज्ञापन में अनजाने में कोई गलती हुई है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि गलती 'नव भारत टाइम्स' में प्रकाशित विज्ञापन में थी, जो 1997 की पुरानी गाइडलाइन के आधार पर प्रकाशित किया गया प्रतीत होता है।

(20) वर्ष 2000 के दिशानिर्देश/नीति में, खंड 3.2.2 में आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अपवाद प्रदान किया गया है, यदि पूर्व विज्ञापन के अनुसरण में चयन नहीं किया गया था। यह खंड (जैसा कि इस निर्णय में पहले उद्धृत किया गया है) प्रदान करता है कि जहां आवेदन पहले आमंत्रित किए गए थे लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सके या जहां साक्षात्कार आयोजित किए गए थे लेकिन योग्यता पैनल प्रदर्शित नहीं किए गए थे, ऐसे मामलों में संबंधित तेल विपणन द्वारा नए आवेदन मांगे जा सकते हैं कंपनियां. जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें नए फॉर्म पर आवेदन जमा करने की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि उन्हें नया आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया था, उनकी पात्रता की तारीख वही तारीख रहेगी जब पहले आवेदन मांगे गए थे, जबकि नए आवेदकों के लिए पात्रता की तारीख वही होगी जो नए विज्ञापन में बताई गई है। आवेदन मंगाए जा रहे हैं। जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, उसने वर्ष 2002 में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध पहली बार आवेदन किया है। केवल उन आवेदकों के लिए, जिन्होंने वर्ष 1998 में पहले आवेदन किया था, उक्त विज्ञापन में पात्रता की शर्तें लागू हैं। इस खंड में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि नए आवेदनों के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है और इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के

लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जा सकता है। इस धारा के अनुसरण में वर्ष 2002 के विज्ञापनों में यह उल्लेख किया गया है कि जिन आवेदकों ने वर्ष 1998 में पहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा, लेकिन उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उनकी पात्रता उनके पहले के आवेदनों को ध्यान में रखकर नियंत्रित की जाएगी। इसलिए, उत्तरदाताओं का यह तर्क कि वर्ष 2002 में जारी विज्ञापन के मद्देनजर प्रश्नगत डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए वर्ष 1998 में तय की गई पात्रता मानदंड को ध्यान में रखा जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(21) वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, डीलर चयन बोर्ड द्वारा योग्यता पैनल पर क्रमांक 1 पर याचिकाकर्ता को एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए सिफारिश की गई थी। उक्त अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप से वंचित कर दिया गया है कि उसके खिलाफ प्राप्त शिकायत पर प्रतिवादी निगम द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया गया था। 26 फरवरी, 2001 को धारा 452/323 ईपीसी के तहत, जो प्रतिवादी निगम के अनुसार नैतिक अधमता का अपराध था, और याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। ऊपर की गई विस्तृत चर्चा के अनुसार, पात्रता की कोई शर्त नहीं थी कि

आवेदन की तिथि पर, यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से जुड़े आपराधिक मामले में आरोप तय किया गया है, तो वह डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होगा। एकमात्र शर्त यह थी कि आवेदन और विचार की तिथि पर, उम्मीदवार को नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आवेदन पत्र में, याचिकाकर्ता को केवल यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या उसे नैतिक अधमता और/या आर्थिक अपराधों (स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के अलावा) से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण का विवरण उपलब्ध करायें। चूंकि आवेदन की तिथि पर याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था और उसने इस आशय का शपथ पत्र दिया था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र भरते समय महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। 2000 के दिशानिर्देश/नीति के खंड 1.3.2 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने नैतिक अधमता से जुड़े किसी आपराधिक अपराध के लिए अपनी सजा के बारे में जानकारी छिपाई है, तो आवंटन/सिफारिश रद्द की जा सकती है। आवंटन/सिफारिश को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि एक लंबित आपराधिक मामले में, उम्मीदवार के खिलाफ नैतिक अधमता

से जुड़े अपराध के लिए आरोप तय किया गया था, क्योंकि पात्रता मानदंड में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

(22) प्रतिवादी निगम के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को एलपीजी वितरक के आवंटन की सिफारिश प्रतिवादी निगम द्वारा न केवल इस आधार पर स्वीकार की गई थी कि एक आपराधिक मामले में यानी एफआईआर संख्या 565 दिनांक 14 दिसंबर 1999 को थाना सेक्टर 7 फ़रीदाबाद में पंजीकृत होकर उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 452/323 के तहत आरोप तय किया गया था, लेकिन पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता तीन आपराधिक मामलों में शामिल था। इसलिए, उनके खिलाफ तीन आपराधिक मामलों की लंबितता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

(23) प्रतिवादी निगम के विद्वान वकील द्वारा की गई दलील को खारिज करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन आपराधिक मामले लंबित थे, डीलर चयन बोर्ड द्वारा उसके पक्ष में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए की गई सिफारिश नहीं की जा सकती। नज़रअंदाज़ किया जाए या रद्द कर दिया जाए, क्योंकि तीनों मामले छोटे-मोटे अपराधों के थे, जिनमें नैतिक अधमता शामिल नहीं थी। याचिकाकर्ता के

खिलाफ ये मामले झूठे दर्ज कराए गए थे। उनका कहना है कि आवेदन पत्र में ऐसा कोई कॉलम नहीं था जहां उम्मीदवार को अपने खिलाफ सभी लंबित आपराधिक मामलों का विवरण देना पड़े। चूंकि ऐसा कोई कॉलम नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने उस समय लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया और किसी भी परिस्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता ने एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करते समय महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि तीन आपराधिक मामलों में से एक मामले में याचिकाकर्ता को पहले ही बरी कर दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सिफारिश को रद्द करते समय और प्रतिवादी नंबर 3, जो डीलर चयन बोर्ड द्वारा तैयार मेरिट पैनल में क्रमांक 2 पर था, को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करते समय, प्रतिवादी निगम ने न केवल कार्रवाई की है अवैध एवं मनमाने ढंग से, बल्कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में जारी दिशा-निर्देश/नीति में निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया है।

(24) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क सही प्रतीत होता है। निर्विवाद रूप से, किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र में उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल उस मामले का विवरण देना था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास उसके खिलाफ लंबित दो मामलों (बाद में तीसरा मामला दर्ज होने) का विवरण देने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता

कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी निगम से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। दूसरे, दो आपराधिक मामले, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित थे, यानी एफआईआर नंबर 565 दिनांक 14 दिसंबर, 1999 को पुलिस स्टेशन, सेक्टर 7, फरीदाबाद में धारा 452,323 506 और 34 आईपीसी और एफआईआर नंबर के तहत दर्ज किया गया था। 436, दिनांक 9 जुलाई, 2001 धारा 147,148,353,186, 341 और 506 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में पंजीकृत नैतिक अधमता/आर्थिक अपराध से संबंधित अपराध से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता के पड़ोसियों के साथ कुछ मामूली झगड़े के लिए एफआईआर नंबर 565 दर्ज की गई थी। न तो आईपीसी की धारा 323 और न ही ईपीसी की धारा 452 के तहत अपराध को नैतिक अधमता का अपराध कहा जा सकता है। अरुण दीक्षित बनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत किया गया, जिसमें एक उम्मीदवार को केवल धारा 294, 341 और 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। ईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध को सार्वजनिक अधमता का अपराध माना गया और उक्त दोषसिद्धि के मद्देनजर, यह माना गया कि उक्त उम्मीदवार एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए पात्र नहीं था। इसलिए, उक्त मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(25) जहां तक दूसरी एफआईआर संख्या 436 का सवाल है, जो 9 जुलाई 2001 को दर्ज की गई थी, यह तब दर्ज की गई थी जब याचिकाकर्ता अपनी पार्टी

के कार्यकर्ताओं के साथ आपूर्ति न करने के लिए सत्ताधारी पार्टी और बिजली बोर्ड के खिलाफ आवाज उठा रहा था। क्षेत्र के निवासियों को पर्याप्त बिजली मिले। उक्त एफआईआर, हालांकि उस समय लंबित थी, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए भी नहीं थी। इसलिए, हमारी राय में प्रतिवादी निगम द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए डीलर चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार नहीं करना उचित नहीं है, जो कि मेरिट पैनल में क्रमांक 1 पर था, इस आधार पर कि जांच के दौरान, पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 3 आपराधिक मामले लंबित थे।

(26) वर्ष 2000 में जारी दिशानिर्देशों/नीति में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रतिवादी निगम को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कार्रवाई करेगा। इस पर निर्णय होगा कि उक्त शिकायत की जांच की जाए या नहीं। खंड 3.15.3 में प्रावधान है कि पैनल में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ जांच होने की स्थिति में, संबंधित तेल कंपनी जांच के लिए मुख्य प्रबंधक के पद से नीचे के 2 अधिकारियों को नामित करेगी जो 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद, तेल कंपनी जांच रिपोर्ट को डीलर चयन बोर्ड को भेज देगी और बोर्ड के अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड के सदस्यों के परामर्श से, शिकायत के संदर्भ में रिपोर्ट की जांच करेंगे और निर्णय लेंगे, जिसे सूचित किया जाएगा। तेल कंपनी को. उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा मामले में उक्त

प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जवाब में कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने की सिफारिश प्रतिवादी निगम के समक्ष लंबित थी, तो उसके खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वह कई आपराधिक मामलों में शामिल था। इसके बाद मामले की जांच की गयी. पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं और यहां तक कि एक मामले में उसके खिलाफ आरोप तय किया गया है। जवाब में यह नहीं बताया गया है कि जब प्रतिवादी निगम को शिकायतें मिलीं, तो उन्हें डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा गया, जिन्होंने मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह भी नहीं बताया गया है कि जांच पूरी होने के बाद, जांच रिपोर्ट डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपी गई थी, जिन्होंने डीलर चयन बोर्ड के सदस्यों के परामर्श से एलपीजी वितरक को आवंटित नहीं करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता को और इसे प्रतिवादी नंबर 3 को आवंटित किया जाना चाहिए, जो पैनल में शामिल दूसरा उम्मीदवार था। हमारी राय में, जांच रिपोर्ट के आधार पर, प्रतिवादी निगम स्वयं निर्णय लेने और डीलर चयन बोर्ड से ऐसा आदेश प्राप्त किए बिना एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश को रद्द करने में सक्षम नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि प्रश्नगत डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश को रद्द करने का निर्णय लेने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल था। यह नहीं माना जा सकता कि उक्त

एसोसिएशन पर्याप्त अवसर है। जांच के समापन के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कोई नोटिस नहीं दिया गया कि क्यों न उसकी सिफारिश रद्द कर दी जाए। इस प्रकार, हमारी राय में, प्रतिवादी निगम ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया है।

(27) हमें उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई बल नहीं मिला कि याचिकाकर्ता अपनी सिफारिश को रद्द करने या प्रतिवादी संख्या 3 को एलपीजी वितरक का आवंटन करने से पहले सुनवाई के किसी भी अवसर का हकदार नहीं है। किसी निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। डॉ. जे. शशिधर प्रसाद बनाम कर्नाटक के राज्यपाल और अन्य (1) में प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं है।

(28) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने एलपीजी वितरक के आवंटन को देर से चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है। प्रारंभ में, 2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9454 याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी निगम को याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने से रोकने के लिए दायर किया गया था, जिसे डीलर चयन बोर्ड द्वारा अधिक उपयुक्त पाया गया था और उसे क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। योग्यता पैनल. उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, जब प्रतिवादी निगम ने प्रतिवादी नंबर 3 को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की, तो याचिकाकर्ता ने उक्त रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया,

जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन को चुनौती दी गई। आवेदन सुनवाई के लिए आया, 16 मार्च, 2006 को, याचिका में संशोधन की अनुमति देने के बजाय, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कार्रवाई के उसी कारण पर नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता द्वारा 4 सितंबर, 2006 को वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी। इन तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान याचिका विलंब और विलंब से ग्रस्त है।

(29) प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण कि वर्तमान मामले में, अदालत को प्रतिवादी संख्या 3 को संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने पर पर्याप्त राशि का निवेश किया है। हमारी राय में, इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के तर्क को स्वीकार करना प्रतिवादी निगम के अवैध, मनमाने और असंवैधानिक कार्य को न्यायालय की मंजूरी के समान होगा। इसी तरह की दलील को इस न्यायालय ने 2001 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6133 में निपटाया था, जिसका शीर्षक नवदीप कुमार महेश्वरी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य था, जिसका निर्णय 01 मार्च 2002 को दिया गया था, जबकि यह निम्नानुसार था: -

"श्री मल्होत्रा की यह दलील कि अदालत डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन को रद्द नहीं कर सकती क्योंकि उनके मुवक्किल ने पर्याप्त राशि खर्च की है, खारिज करने योग्य है क्योंकि इस तरह के तर्क को स्वीकार करना अदालत की मंजूरी के समान होगा, जो बोर्ड का एक असंवैधानिक, स्पष्ट रूप से अवैध, मनमाना और पक्षपातपूर्ण निर्णय है। इससे न्याय प्रशासन प्रणाली में जनता का विश्वास भी हिल जाएगा।"

(30) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी निगम ने एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए डीलर चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को रद्द करते हुए अवैध और मनमाने ढंग से काम किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता को और उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रतिवादी नंबर 3 को आवंटित की गई, जो पैनल में शामिल दूसरा उम्मीदवार था।

(31) नतीजतन, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, प्रतिवादी नंबर 3 को बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी नंबर 1 को डीलर चयन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बल्लभगढ़ के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन करने का निर्देश दिया जाता है। तख़्ता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा